UPPG120005402013

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) लालगंज, प्रतापगढ़।
उपस्थित– अरविन्द कुमार सिंह, (उ०प्र० न्यायिक सेवा),
Civil Suit/213/2013

1. **त्रिलोकनाथ सुत स्व० रामेश्वर प्रसाद। (मृतक दौरान मुकदमा)**
1/1. **विमलेश कुमार सुत स्व० त्रिलोकनाथ।**
निवासी ग्राम शीतलमऊ, परगना रामपुर तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

---वादी।

बनाम

1. **गांवसभा शीतलमऊ द्वारा प्रधान ग्राम शीतलमऊ, परगना रामपुर तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़।**
2. **राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़, कलैक्ट्री कचहरी प्रतापगढ़।**
3. **जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत कार्यालय प्रतापगढ़।**

---प्रतिवादीगण।

एक पक्षीय निर्णय

1– प्रस्तुत दीवानी वाद वादी त्रिलोक नाथ के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है।

2– संक्षेप में वादपत्र के अनुसार वादी का कथन है कि वादी अपने पिता व भाइयो से मतभेद हो जाने के कारण घर से भाग कर लालगंज आया और जीविकोपार्जन हेतु होटल का काम शुरु किया तथा लोगो से परिचय होने पर बताया कि सब जमीन रियासत कालाकांकर की है, राजा साहब से इजाजत लेकर रहने के लिए मकान बना सकते हो इसीलिये सन 50 के पूर्व ही रियासत के राजा साहब आला मालिक से इजाजत लेकर कच्चा मकान बनाया और रहने लगा तथा शादी होने पर वादी की पत्नी भी साथ रहने लगी तथा वादी के कार्य में हांथ बटाने लगी और वादी को दो सन्ताने इसी मकान में पैदा हुई है और यही से पढ़ाई लिखाई एवं शादी सम्पन्न हुई है। इस प्रकार सन् 1950 के पूर्व से ही अनवरत बिना किसी बाधा के निवास करता चला आ रहा है। इस प्रकार मकान की भूमि तथा मकान से संलग्न मकान के लाभप्रद की भूमि का स्वामी धारा 9 ज०वि० व भू०सु० अधिनियम 1951 के अनुसार हो चुका है। विमलेश कुमार बनाम गांवसभा के वाद धारा 123(1) Z.A.Act के अन्तर्गत श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय लालगंज ने दिनांक 27.09.2013 को आदेश किया कि गाटा सं० 493 घ मि०/0.016 हे० नवीन परती से खारिज होकर 123(1) श्रेणी 6(2) बतौर आबादी दर्ज हो इस तरह से विमलेश कुमार का वादी त्रिलोकनाथ के साथ एक ही हित सामान्य रूप से बनता है। आज से लगभग 20 साल पहले कच्चा मकान जर्जर होकर गिरने लगा तब वादी ने उसी स्थान पर एक कमरा पक्का बनाया तथा तीन कमरा व बाथरूम के कमरे की नींव भर कर ढाई फीट ऊंची दीवाल बना लिया था और सामने की भूमि को हाते से घरे लिया जिसका मुख्य द्वार जानिब उत्तर तरफ कायम है तथा तीन कमरे व व लैट्रिन की दीवाल पूरी उठाकर काफी अरसा पूर्व लिन्टर डाल लिया है।

Digitally signed by ARVIND KUMAR SINGH
Date: 2025.04.03 10:55:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादी का कब्जा अत्यन्त दीर्घकालीन होने के कारण कब्जे के आधार पर ही वादी का अधिकार परिपक्व हो चुका है किसी भी व्यक्ति को वादी के अधिकार में दखल देने तथा निर्माणों को ध्वस्त करने का अधिकार नही है। वादी सं० 1 की मृत्यु दौरान मुकदमा हो गयी है। उनके पुत्र विमलेश कुमार मिश्र उनके निकटतम वारिस है और उनके स्थान पर काबिज दखील है। वादी कानून कायदे का नही समझ पाता है तथा मकान व आबादी के प्रयोग मे किसी के द्वारा व्यवधान न उत्पन्न करने के कारण इन्द्राज के संबंध में कोई संदेह भी पैदा नही हुआ। चकबन्दी के दौरान कांजी हाउस के बावत फर्जी इन्द्राज का आदेश हो गया था जिसको वाद में च०अ० द्वारा फर्जी घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया और वादी के अधिकार में किसी प्रकार का आदेश नही पारित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतापगढ़ के नाम पर एक मुकदमा 331 39 का प्रस्तुत करके एक भ्रामक आदेश पारित कराया गया जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने कार्यवाही किया परन्तु प्रार्थी के आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। विधानतः सरसरी कार्यवाही के अन्तर्गत गम्भीर मामलो का निपटारा नही हो सकता है न ऐसा होने का विधान ही है और सरसरी कार्यवाही का कोई प्रभाव नियमित वाद कार्यवाही पर न कोई प्रभाव पड़ता है और न पड़ेगा। फर्जी आदेश करा लेने से वादी के अधिकार आबादी पर कोई असर नही पड़ेगा क्योंकि किसी भी न्यायालय के अधिकारी द्वारा वादी को कांजी हाउस की जमीन पर बनाने के घोषणा नही हुई है और न वादी कांजी हाउस की जमीन पर कोई मकान बनाया है। एक बड़े नम्बर की भूमि मे एक बिस्वा चार धूर कांजी हाउस की कहां पर दी गयी है निश्चित नही है क्योंकि किसी भी कार्यवाही में उक्त भूमि की चौहद्दी नही दी गयी है और 493 घ मि० मे कही जाती है जो दक्षिण पश्चिम जाकर कही पड़ेगी उत्तर कदापि नही पड़ेगी। फर्जी आदेशों को करा लेने से प्रतिवादीगण का मनोबल बढ़ गया है और वे पुलिस बल लाकर वादी के मकान को ध्वस्त कराने की धमकी दे रहे है और अनुनय विनय करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे है इसीलिये प्रार्थी न्यायालय की शरण में आया है। वाद का कारण वादपत्र में दर्शित व तथ्यों के आधार पर उत्पन्न हुआ है एवं कायम है वहद शीतलमऊ परगना रामपुर तहसील लालगंज जिला प्रतापगढ़ इसी न्यायालय की अधिकार सीमा के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त भूमि आबादी की शकल मे है जिस पर कोई भूकर निर्धारित नही है इसलिए न्याय शुल्क की दृष्टि से वादग्रस्त भूमि व सम्पत्ति की कीमत न्यायालय द्वारा 10,000 रु० आंकी जाती है जिसके 1/5 भाग 2,000 रु० पर 297.50 रु० का न्याय शुल्क अदा किया जाता है जो स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पर्याप्त है। अंत में वादी द्वारा याचना की गयी है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए रोक दिया जाए कि वे वादी के कब्जा व दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें व निर्माणों को ध्वस्त न करे। वादी को प्रतिवादीगण से खर्चा मुकदमा दिलाया जावे। अन्य उपषम जिसका अधिकारी वादी न्यायालय के समक्ष पाया जाए प्रतिवादीगण से दिलाया जाए।

3– प्रतिवादी सं० 1 ता 2 उपस्थित आए। प्रतिवादी सं० 1 ता 2 की ओर से प्रतिवाद–पत्र/बयान तहरीर प्रपत्र संख्या–29 क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वंशावली वाद को गलत तरतीब देने के उद्देश्य से दी गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र के शेष कथनों से इन्कार करते हुए अतिरिक्त कथन में उल्लेख किया गया है कि वादपत्र के साथ दिया गया नक्शा नजरी एवं आयुक्त आख्या अस्पष्ट एवं भ्रामक है जो किसी भी पैमाने पर निर्मित नही है। ऐसी दशा में जब तक वादग्रस्त भूमि का नक्शा जरिये सर्वे उभयपक्षो की उपस्थिति में न आ जाय पूर्णतया सम्यक जवाब देही संभव नहीं है। भविष्य में जवाब दावा का अधिकार सुरक्षित रखते हुए जवाब दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि उत्तरदाता की भूमि एक बड़े नंबर की भूमि है जिसमे कांजी हाउस की भूमि है। वादी महज उक्त वाद का सहारा लेकर कांजी हाउस की जमीन जो सरकारी संपत्ति है उसी को कब्जा एवं

हड़प करने के लिए असत्य कथनो के आधार पर वाद योजित किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि का इन्द्राज शुद्ध व सही है जिससे वादी से कभी वास्ता व सरोकार न तो था न वर्तमान समय में ही है। वादग्रस्त भूमि व उसके किसी भी अंश पर वादी व उसके पूर्वजों का किसी भी किस्म कब्जा व दखल न तो कभी था और न ही वादी का ही किसी किस्म का कब्जा दखल ही है। वादग्रस्त भूमि वादी का अंश कदापि नहीं है और महज वादग्रस्त भूमि को हड़पने के उद्देश्य से गलत बयानी करके जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 9 का अनुचित व अवैधानिक लाभ प्राप्त करना चाहता है जब कि अधिकारी नहीं है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र की धारा 2 एवं 3,5 व 6 में किया गया कथन असत्य व निराधार है, महज वादग्रस्त भूमि को हड़पने की मंशा से वाद योजित किया है। वादग्रस्त भूमि उत्तरदाता की भूमि है। जो बहुत ही कीमती भूमि है। यदि वादग्रस्त भूमि व उसके किसी अंश पर वादी का कब्जा व निर्माण पाया भी जाता है तो वह गैर कानूनी एवं विधि के प्रतिकूल है जिसके संबंध में वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। वादीगण ने महज राजस्व न्यायालय की कार्यवाही से बचने के लिए गलत कथनों के आधार पर वर्तमान वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा नियमानुसार नोटिस प्रेषित न किए जाने से वाद निरस्त होने योग्य है। एकपक्षीय आयुक्त आख्या बिल्कुल भ्रामक एवं असत्य है। वाद अल्प मूल्यांकित है तथा प्रदत्त न्याय शुल्क पूर्णतया अपर्याप्त है। वाद धारा 49 ज.च.अधि. से बाधित है। तथाकथित वाद का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ वाद का कारण काल्पनिक व मनगढंत है। वाद वादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। वादी से उत्तरदाता प्रतिवादी विशेष हर्जा अं. धारा 35 ए जा.दी. पाने का अधिकारी है। वादी किसी भी उपषम को प्राप्त करने के अधिकारी उत्तरदाता से कदापि नहीं है। अंत में याचना की गई है कि वादी का वर्तमान वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

4– शेष प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 03.09.2014 को निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किए गये–

1. क्या वादी वादग्रस्त सम्पत्ति का अध्यासित स्वामी है?
2. क्या वादी द्वारा विवादित सम्पत्ति का मूल्यांकन कम किया गया है?
3. क्या वादी द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
4. क्या वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
5. क्या वादग्रस्त भूमि काबिले शिनाख्त है?
6. क्या क्या वादी को कोई वाद कारण प्राप्त है?
7. क्या वाद धारा–49 जो०च०अधि० से बाधित है?
8. क्या वाद धारा–106 पंचायती राज अधिनियम से बाधित है?
9. क्या प्रतिवादी विशेष हर्जा पाने के अधिकारी है?
10. क्या वादी याचित अनुतोष पाने के अधिकारी है?

5– दौरान विचारण प्रतिवादीगण अनुपस्थित हो गये, अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 14.11.2013 को वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

6– वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्ल्यू०–1 स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या–42क, पी०डब्ल्यू०–2 बैजनाथ तिवारी का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या– 43क प्रस्तुत किया गया है। वादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज संख्या 9ग के द्वारा एक किता खतौनी कागज संख्या 10 ग, एक किता खसरा कागज संख्या 11 ग , छायाप्रति CH2A कागज सं० 12 ग,

छायाप्रति लाइसेन्स कैरोसीन कागज संख्या 13 ग, छायाप्रति निर्वाचन कार्ड कागज संख्या 14 ग, छायाप्रति राशन कार्ड कागज संख्या 15 ग, उत्तर प्रदेश विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 16 ग, बिजली के बिल की छायाप्रति कागज संख्या 17 ग, टेलीफोन बिल की छायाप्रति कागज संख्या 18 ग, आ० प्रपत्र 11 ग्राम शीतलमऊ कागज संख्या 19 ग एवं सूची कागज संख्या 34 ग के द्वारा एक किता उद्धरण खतौनी बावत गाटा सं० 493 घ मि० दाखिल की गयी है।

7– वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया।

8– वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्ल्यू०–1 स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या–42 क, पी०डब्ल्यू०–2 बैजनाथ तिवारी का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या– 43 क प्रस्तुत किया गया है। वादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज संख्या 9 ग के द्वारा एक किता खतौनी कागज संख्या 10 ग, एक किता खसरा कागज संख्या 11 ग , छायाप्रति CH2A कागज सं० 12 ग, छायाप्रति लाइसेन्स कैरोसीन कागज संख्या 13 ग, छायाप्रति निर्वाचन कार्ड कागज संख्या 14 ग, छायाप्रति राशन कार्ड कागज संख्या 15 ग, उत्तर प्रदेश विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 16 ग, बिजली के बिल की छायाप्रति कागज संख्या 17 ग, टेलीफोन बिल की छायाप्रति कागज संख्या 18 ग, आ० प्रपत्र 11 ग्राम शीतलमऊ कागज संख्या 19 ग एवं सूची कागज संख्या 34 ग के द्वारा एक किता उद्धरण खतौनी बावत गाटा सं० 493 घ मि० प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा कथन किया गया है कि वह सन् 1950 के पूर्व से ही अनवरत बिना किसी बाधा के निवास करता चला आ रहा है एवं मकान की भूमि तथा मकान से संलग्न मकान के लाभप्रद की भूमि का स्वामी धारा 9 जमींदारी विनाश अधिनियम व भूमि सुधार अधिनियम 1951 के अनुसार हो चुका है। पत्रावली में अमीन आख्या 22 ग 2 मय नक्शा संलग्न है जिसे न्यायालय साक्ष्याधीन पुष्ट किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से न तो कोई उपस्थित आया एवं न ही कोई साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया। चूंकि पत्रावली एकपक्षीय रूप से अग्रसारित थी। अतः जिरह हेतु प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुआ जिससे उक्त साक्षीगण पी०डब्ल्यू०–1 व पी०डब्ल्यू०–2 के अखंडित साक्ष्य वादी के दावे के समर्थन में पढ़ा जायेगा। प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन के रूप में किसी भी साक्षी के न होने के कारण वादी के अखंडित साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद एकपक्षीय रूप से आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

09– प्रस्तुत वाद (मूलवाद संख्या 213/2013, त्रिलोकनाथ बनाम गांवसभा) एकपक्षीय रूप से वादी के पक्ष में आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह जबरन वादग्रस्त भूमि में वादी के शांतिपूर्ण कब्जा दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार सिंह)
सिविल जज(जू०डि०), लालगंज
प्रतापगढ़।

दिनाँक– 03.04.2025

आज यह निर्णय एवं आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार सिंह)
सिविल जज(जू०डि०), लालगंज,
प्रतापगढ़।

दिनाँक–03.04.2025

स्टेनो – शुभम यादव